नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2012 से 03/2014

भाग–एक

1 प्रारम्भिक :–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/12 से 3/13 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर श्री रविन्द्र चौहान, प्रधान व श्री अनिल चौहान, सचिव कार्यरत रहे।

(ग) नगर पंचायत कोटखाई के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2014 के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर आपत्तियों का संक्षिप्त सार :–

क्रमांक	गम्भीर अनियमितताओं का सम्बन्धित सार	पैरा संख्या	राशि ₹ लाख में
1	सावधि योजना में निवेश राशि पर ब्याज की कम प्राप्ति	5 (1)	0.22
2	सावधि योजना में निवेश राशि पर TDS की अनाधिकृत कटौती	5 (2)	0.76
3	दिनाँक 31.3.14 तक अनुदान की अनुपयुक्त राशि	8	28.12
4	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग से प्राप्त अनुदान को खर्च न करना	8 (1)	20.00
5	31.3.14 तक किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	9	36.66
6	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	13	0.40

7	मजदूरी का अनियमित भुगतान	15	4.26
8	हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को अधिक भुगतान	16	0.12
9	निर्माण कार्यों के भुगतान में से बिक्रीकर तथा श्रमकर को सम्बन्धित विभागों में जमा न करना	17	0.72

(घ) गत अंकक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट ''क''** पर दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2012 से 31.03.2014 के लेखाओं का लेखा परीक्षण व निरीक्षण, श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 11.3.2015 से 5.4.2015 तक के दौरान नगर पंचायत के कोटखाई स्थित कार्यालय में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु क्रमशः माह 9/2012 व 5/13 व 4/12 व 11/13 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत कोटखाई प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख/सूचनाओं के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी अधूरी सूचना एवम गलत सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.12 से 31.03.14 के लेखाओं के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹18000/– मात्र बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम देय रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा करने हेतु अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 6, दिनांक 5.4.15 द्वारा सचिव नगर पंचायत कोटखाई से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी :–

अवधि	शीर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष मे प्राप्तियॉ	कुल योग	वर्ष में अदायगियॉ	अन्तिम शेष
2012–13	अनुदान	1992948.66	2851419	4844367.66	2167746	2676621.66
	अपने साधनों से आय	3693079.44	1016049	4709128.44	1462257	3246871.44
	कुल योग	**5686028.10**	**3867468**	**9553496.10**	**3630003**	**5923493.10**
2013–14	अनुदान	**2676621.66**	**1220659**	**3897280.66**	**1085152**	**2812128.66**
	अपने साधनों से आय	**3246871.44**	**1442938**	**4689809.44**	**1540159**	**3149650.44**
	कुल योग	**5923493.10**	**2663597**	**8587090.10**	**2825311**	**5961779.10**

<u>दिनांक 31.03.2014 को बैंकों में जमा राशि का विवरण</u> :–

(1) भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 11293421568 में जमा राशि ₹147399.97

(2) भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 011293421783 में जमा राशि ₹2655179.69

(3) भारतीय स्टेट बेंक के बचत खाता संख्याः 011293431148 में जमा राशि ₹37280.64

(4) भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 011293421807 में जमा राशि ₹454165.80

(5) हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित के बचत खाता संख्या 7734 में जमा राशि ₹784108.00

(6) भारतीय स्टेट बैंक के सावधि जमा खाता संख्या 11293475321 में जमा राशि ₹1882369.00

कुल योग ₹5960503.10

बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.3.14 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	₹5961779.10
घटावः–	
दिनांक 30.7.2010 का बैंक द्वारा अधिक डेबिट की गई राशि	(–) ₹1276.00
बैंकों के अनुसार 31.3.14 को कुल अन्तशेष	5960503.10

5 सावधि निवेश :–

नगर पंचायत द्वारा सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2014 तक भारतीय स्टेट बैंक कोटखाई में राशि ₹1882369/– निवेश की थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

सावधि खाता संख्या	निवेश राशि	निवेश की तिथि	परिपक्वता तिथि	ब्याज दर	परिपक्वता की राशि ₹ में
935194	₹1882369	29.11.13	29.11.14	9%	₹2057586

अतः उपरोक्त निवेश को समय पर भुनाना व तदानुसार लेखांकन किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाई जाए।

5(1) सावधि योजना में निवेशित राशि पर देय ब्याज की राशि ₹22389/– को कम प्राप्ति :–

नगर पंचायत कोटखाई ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटखाई में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनाँक 29.11.11 को एक वर्ष के लिए राशि ₹1634759/– का निवेश किया था। उक्त एफ0डी0आर0 से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा परिपक्वता पर देय ब्याज की राशि पर TDS की वसूली करने के उपरान्त शेष राशि से कम राशि को खाते में क्रेडिट किया। फलस्वरूप पंचायत के खाते में राशि ₹22389/– को कम क्रेडिट किया गया। इस राशि का विवरण निम्न प्रकार से था:–

निवेश की राशि	निवेश करने की तिथि	परिपक्वता की तिथि	ब्याज की दर	ब्याज की राशि	परिपक्वता राशि	T.D.S जितना काटा	T.D.S. काटने पर जितनी राशि बनती है	बैंक द्वारा परिपक्वता पर TDS काटकर जो राशि दी	कम राशि
1634759	29.11.11	29.11.12	9.25%	156542	1791301	20841	1770460	1759225	11235
1759225	29.11.12	29.11.13	8.50%	154368	1913593	20595	1892998	1882309	10629
1882369	29.11.13	29.11.14	9.00%	175217	2057586	34939	2022647	2022122	525
								कुल योग	**₹22389**

इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत कोटखाई को लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 5 दिनांक 24.3.14 द्वारा वस्तुस्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत करने बारे कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक नगर पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करवाया गया। अतः सचिव नगर पंचायत कोटखाई इस मामले को सम्बन्धित बैंक से उठाये और कम प्राप्त ब्याज की राशि ₹22389/– की प्राप्ति बैंक से करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाये।

5(2) TDS राशि ₹76375/– की अनाधिकृत कटौती:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 29.11.11 से 29.11.13 तक भारतीय स्टेट बैंक, कोटखाई में सावधि जमा खाते में निवेशित/पुनः निवेशित राशि पर बैंक द्वारा दिये ब्याज की राशि पर हर वर्ष TDS की कटौती की गई थी। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 29.11.11 से 29.11.13 तक निवेशित राशि पर बैंक द्वारा ₹76375/–की आयकर की कटौती की गई जबकि सावधि खातों में जमा राशि सरकार द्वारा दिये अनुदानों आदि से

सम्बन्धित है। सरकारी संस्था द्वारा किसी भी बैंक में सावधि योजना में निवेश राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर TDS की कटौती नहीं की जा सकती। अतः नगर पंचायत कोटखाई भारतीय स्टेट बैंक में निवेश राशि पर जो TDS की कटौती की राशि ₹76375/– की वापिस हेतु समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

6 ऋण तथा अग्रिम से सम्बन्धित राशियों के बारे में:–

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि में कोई भी राशि ऋण के रूप में प्राप्त नहीं की गई तथा इसके अतिरिक्त नगर पंचायत के किसी कर्मचारी स दिनांक 31.03.2014 के स्टाफ अग्रिम की कोई वसूली शेष नहीं थी।

7 स्वीकृत बजट में आय व व्यय की राशि क्रमशः ₹40.27 लाख व ₹29.38 लाख की कम वसूली/व्यय करना:–

नगर पंचायत कोटखाई द्वारा अंकेक्षण अवधि में (वर्ष 2012–13) में 50.36 लाख तथा वर्ष 2013–14 में 55.06 लाख आय की वसूली हेतु बजट स्वीकृत था) जबकि नगर पंचायत कोटखाई द्वारा वर्ष 2012–13 में केवल 38.67 लाख और वर्ष 2013–14 में ₹26.63 लाख आय के रूप में अर्जित किये। अतः नगर पंचायत कोटखाई द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वीकृत बजट में निर्धारित लक्ष्य का वर्ष 2012–13 में 76.53**%** तथा वर्ष 2013–14 में 48.38**%** तक ही प्राप्त किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत बजट में निर्धारित आय के लक्ष्य को पूरा करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और भविष्य में बजट में निर्धारित आय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जाये।

2 इसी प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान निमनविवरणानुसार ₹91.93 लाख के व्यय हेतु बजट में प्रावधान था लेकिन परिषद उक्त अवधि के दौरान केवल ₹62.55 लाख का व्यय करने में समर्थ रही। अतः नगर पंचायत द्वारा क्षेत्र वासियों को बजट में निर्धारित मूलभूत सुविधाओं/योजनाओं को पूरा लाभ प्रदान नहीं किया गया। नगर पंचायत बजट के अनुसार व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करें तथा भविष्य में स्वीकृत बजट की राशि के शत प्रतिशत व्यय को नियमानुसार उपयोग करना सुनिश्चित करें।

वर्ष	बजट (Provision)	वास्तविक खर्च	प्रतिशतता

2012–13	4485764	3630003	80.92**%**
2013–14	4707356	265311	55.77**%**
	9193120	**6255314**	

8 **अनुदान :–**

दिनांक 31.3.14 तक अनुदान की राशि ₹28.12 लाख व्यय हेतु शेषः–

अंकेक्षण अवधि 2012–2013 व 2013–14 के दौरान नगर पंचायत को ₹4072078/– का कुल अनुदान प्राप्त हुआ तथा प्राप्त अनुदान का स्त्रोतवार पूर्ण विवरण **परिशिष्ट ''ख से त''** में दर्शाया गया है। अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में से निम्नलिखित राशियाँ अव्ययित (Unspent) पड़ी थी :–

क्रमांक	अनुदान का स्त्रोत	दिनांक 31.03.2014 को अव्ययित राशि	परिशिष्ट का विवरण
1.	Tourism and Civil aviation.	1557210.00	परिशिष्ट ''ख''
2	13th Finance Commission	308265.00	परिशिष्ट ''ग''
3	4th SFS	437922.00	परिशिष्ट ''घ''
4	Natural Calauity	–	परिशिष्ट ''ङ''
5	EIVS	301207.00	परिशिष्ट ''च''
6	Rajeev Awas Yojna	13975.00	परिशिष्ट ''ज''
7	SJSRY	45457.00	परिशिष्ट ''फ''
8	ULB roads	148092.66	परिशिष्ट''ञ''
	Total	**₹2812128.66**	

अतः अनुपयुक्त (Unspent) राशियों का या तो सम्बन्धित संस्था को लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इन अनुदानों को अविलम्ब सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उन उद्देश्यों के लिये खर्च किया जाये जिन के लिये अनुदान प्राप्त हुआ था। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.1 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग से Integrated Development in Juble Kotkhai as a tourist civaition in H.P. के अन्तर्गत राशि ₹20 लाख के अनुदान को खर्च न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि H.P. tourisam & civil Aviation Deptt के पत्र संख्या 6–6/2009–DT-SML-590 दिनांक 20.6.10 द्वारा Integrated Development of Jubbal & Kotkhai as a tourist circle in Himachal Pradesh के अन्तर्गत Landscaping, beautification, providing lighting points के लिए राशि ₹2000000/– लाख स्वीकृत किया गया जिसके अन्तर्गत राशि ₹600000/– लाख रूपये माह 6/10 में नगर पंचायत को प्राप्त हुये थे तथा राशि ₹1200000/– दिनांक 10.4.12 को उक्त कार्य के लिए प्राप्त हुये। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य Providing & installation of 2 Nos 16mt. high most light system in Nagar Panchyat Kotkhai के कार्य का आबंटन श्री देस राज को पत्र संख्या 1251 दिनांक 1.10.12 द्वारा राशि ₹624192/– के लिए किया गया था परन्तु यह कार्य अभी तक भी निष्पादित नहीं करवाया गया। सचिव, नगर पंचायत द्वारा चर्चा के दौरान लेखा परीक्षा को अवगत करवाया कि संविदाकार द्वारा यह निर्माण कार्य नहीं किया गया न ही नगर पंचायत ने संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध को धाराओं के अन्तर्गत कोई कार्रवाई की गई तथा ठेकेदार को समय–2 पर नोटिस भी जारी नही किये गये जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः संविदाकार के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

उक्त के अतिरिक्त जिस उद्देश्य के लिये यह अनुदान प्राप्त हुआ था उसे अभी तक उन उद्देश्यों पर खर्च न करने बारे स्थिति भी स्पष्ट की जाये यह परामर्श दिया जाता है कि इस अनुदान को उन उद्देश्यों के लिये खर्च करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें अन्यथा अनुदान राशि को सम्बन्धित विभाग को लौटाया जाये। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 दुकानों के किराये राशि ₹36.66 लाख वसूली हेतु शेषः–

दुकानों से सम्बन्धित किराये मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तथा संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.14 तक विभिन्न दुकानदारों से किराये राशि ₹3666232/– वसूली हेतु शेष थी जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ध"** में दिया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नगर पंचायत किराए की

वसूली के प्रति गम्भीर नहीं है। उक्त राशि की वसूली समय पर न करने के कारण नगर पंचायत को ब्याज के रूप में होने वाली आय से भी वंचित होना पड़ा। अतः किराये की राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस पग उठाये जायें और शीघ्र वसूली कर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन करवाया जाये।

9.1 नगर पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षों से किराये की राशि ₹2384153/– की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा कई किरायेदारों से पिछले कई वर्षों से किराये की वसूली न कर बकाया राशि में दर्शाई गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार था। ऐसी प्रतीत होता है कि नगर पंचायत द्वारा चूककर्ता किराये से किराये की वसूली क लिए म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 258 (1) (b) (2) के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप किराये की वसूली हेतु राशि में हर वर्ष वृद्धि होती गई। अतः नगर पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 में दिये प्रावधान के अन्तर्गत शीघ्र ठोस कार्रवाई अमल में लाये और की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Sr. No.	Shop No.	Name of	Monthly rent	Rent received up to	out standing rent up to 31.3.14
1	4	Sh. Surinder S/O Sh. Ram Singh	1500	1/09	76382
2	6	Sh. Rattan Chand	292	2/97	56386
3		Sh. Ramesh Chand	1500	8/07	53370
4	20	Sh. Kava Singh Watch machanice	500	8/2000	82060

5		Sh. Subhash Chand	1500		59851
6	26	Sh. Chuni Lal	1500	10/08	79617
7	29	Sh. Vijay Kumar	1500	11/04	169400
8	30	Sh. Bal Kishan	1500	2/03	199275
9	32	Sh. Dayal Chauhan	1500	10/08	83905
10	34	Sh. O.P Gangta	1500	09/08	70372
11		Sh. Sharvan Kumar	1500		54456
12	37	Sh. Ravinder Mehta	1500	3/07	115000
13		Sh. Sohan Lal	1500		40509
14	39	Sh. Jag Mohan	2300	6/10	106800
15	40	Sh. Gopal Agancies	2250	3/06	219250
16	42	Sh. Suresh Katva	2350	5/11	48400
17	43	Ayule	600	5/07	44540
18	45	Sh. Davinder Chauhan	4100	4/06	389580
19	46	Sh. Naresh	4100	3/10	199400
20	47	Studio eletronics	2800	3/07	235600
					2384153

10 शराब शुल्क की वसूली बारेः–

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि में Excise & Taxation Department से प्राप्त आय का ब्यौरा निम्न प्रकार से थाः–

वर्ष	राशि ₹ में	दिनांक	टिप्पणी
2009–10	145195	15.9.12	
2010–11	134087	15.9.12	
2012–13	96991	6.5.13	
	68594	6.5.13	रजिस्टर में अवधि नहीं दर्शाई

Excise and Taxation Department से प्राप्त होने वाली आय से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत को शराब शुल्क के रूप में जो आय प्राप्त हुई

है वह नगर पंचायत सीमा के भीतर बेची जा रही शराब की बोतलों के अनुसार सही है अथवा नहीं सुनिश्चित नहीं हो सका क्योंकि इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नगर पंचायत के पास नहीं थे सचिव नगर पंचायत ने चर्चा के दौरान बताया कि यह शुल्क सम्बन्धित संस्था/विभाग द्वारा सीधे नगर पंचायत के बैंक खाता में जमा किया जाता है जिसकी कोई भी सूचना नगर पंचायत को नहीं दी जाती जिसके अभाव में यह भी सत्यापित न हो सका कि नगर पंचायत को शराब शुल्क में प्राप्त होने वाली राशियाँ किन अवधियों की है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में भी आवश्यक कार्रवाई हेतु सुझाव दिया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि यह प्रकरण आबकारी विभाग से उठाते हुये अपेक्षित सूचनाऐं एकत्रित की जाए व वाँछित अभिलेख तदानुसार ही तैयार करके इसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

11 बिजली शुल्क से सम्बन्धित प्राप्ति बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनांक 24.8.2000 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.10.2000 से एक पैसा प्रति यूनिट की दर से हिमाचल विद्युत बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर पंचायत में जमा किया जाना अपेक्षित था। नगर पंचायत कोटखाई द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत को इस मद में विद्युत बोर्ड से वर्ष 2008–09 के दौरान मात्र ₹31433/– के अतिरिक्त कोई अन्य राशि प्राप्त नहीं हुई प्रतीत होती है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरा 6.5 तथा पैरा 12 में पूर्ण प्रकरण विद्युत बोर्ड से उठाने हेतु कहा गया था परन्तु इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकरण को विद्युत बोर्ड के साथ उठाया जाये और वर्ष 2008–09 के पश्चात बिजली कर से सम्बन्धित आय की प्राप्ति शीघ्र कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12 गृहकर अधिरोपित न करके नगर पंचायत को राजस्व की अप्रत्याशित हानिः–

Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 की धारा 65 के अनुसार 7.5**%** की दर से नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली बिल्डिंग तथा जमीन पर गृह कर अधिरोपित करने का प्रावधान है। 2nd State finance commission (SFC) की Recommendation के अनुसार

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी स्थानीय निकायों को गृह कर 7.50**%** के हिसाब से वर्ष 2002–03 में लगाते हुये हर वर्ष 1**%** के हिसाब से बढ़ाकर वर्ष 2006–07 तक के अन्त तक 12.5**%** की दर से गृहकर अधिरोपित करने के दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत कोटखाई द्वारा H.P. M.A., 1994 में दिये प्रावधान तथा निदेशक शहरी विकास द्वारा जारी 2nd State finance commission में दी Recommendation के विपरीत नगर पंचायत सीमा के भीतर निर्मित भवनों तथा प्लाटों पर गृह कर अधिरोपित नहीं किया जिससे नगर पंचायत को हर वर्ष लाखों रूपये की वित्तीय हानि हो रही है। अतः नगर पंचायत द्वारा गृहकर को अधिरोपित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क राशि ₹40000/– की वसूली शेषः–

सरकार के आदेश संख्या डी0आई0टी0 (आई0टी0) 2005 (मैसेलिनिवस)–2310 दिनांक 28.08.06 द्वारा जारो निर्देशों के अन्तगत नगर परिषद/पंचायत सीमा के अन्दर मोबाईल कम्पनियों द्वारा टावर स्थापित करने पर प्रति टावर ₹10000 स्थापना शुल्क तथा ₹5000/– वार्षिक प्रति टावर नवीनीकरण शुल्क की वसूली करने का प्रावधान है।

अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में बी0एस0एन0एल0 द्वारा वर्ष 2008 में मोबाईल टावर में स्थापित किया था परन्तु कम्पनी द्वारा Installation Charges और Rennual fee का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार बी0एस0एन0एल0 से टावर स्थापना शुल्क राशि ₹10000/– तथा वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक ₹5000/– प्रतिवर्ष Renewal fees की राशि ₹30000/– कुल राशि ₹40000/– की वसूली शेष थी। अतः बी0एस0एन0एल0 से राशि ₹40000/– की वसूली हेतु शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करें।

14 रैहन बसेरा का प्रयोग करने बारेः–

रैहन बसेरा का संचालन व रख–रखाव निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-NSDP/EIUS-H(F) (1)-1/02/IX-9593-9601 दिनांक 30.6.2008 द्वारा विर्निदिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए था जबकि रैहन बसरा का उपयोग सितम्बर, 2012 से पूर्व निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा स्थाई आवास के रूप में किया गया।

	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	विभाग/कार्यालय	अवधि
1	तहसीलदार कोटखाई	राजस्व विभाग (हिमाचल प्रदेश)	11/2009 से 8/2012
2	नायब तहसीलदार, कोटखाई	राजस्व विभाग (हि0प्र0)	11/2009 से 8/2012

उक्त अधिकारियों में से तहसीलदार कोटखाई द्वारा आवास खाली कर दिया जबकि नायब तहसीलदार द्वारा अभी तक रैहन बसेरा में आबंटित आवास खाली नहीं किया गया है। सितम्बर 2012 से रैहन बसेरा को नगर पंचायत द्वारा राशि ₹50760/– प्रति वर्ष को दर से तीन वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया जोकि निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना है जिसकी स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस भवन को लीज पर देने बारे निदेशक, शहरी विकास से अनुमति प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाये।

14.1 अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया वर्ष 2008–09 में रैहन बसेरा से राशि ₹29750/– नगर पंचायत को आय के रूप में प्राप्त हुई और इसका संचालन वर्ष 2009–10 में भी कुछ महिनों में किया गया परन्तु इस भवन को सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आबंटन के पश्चात नगर पंचायत को कोई आय प्राप्त नहीं हुई जिसका उल्लेख गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 9 में किया गया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2010–11 व 2011–12 व 4/12 से 10/2012 तक प्रतिवर्ष ₹29750/– के लगभग नगर पंचायत को वित्तीय हानि हुई।

अतः रैहन बसेरा में राजस्व विभाग के अधिकारियों को आवास आबंटन के कारणों को स्पष्ट करते हुए इन अधिकारियों से देय किराये की राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें।

14.2 रैहन बसेरा के बिजली के बिलों के रूप में ₹3145/– का अनुचित भुगतानः–

नगर पंचायत द्वारा रैहन बसेरा के अवधि 4/12 से 11/12 तक बिजली के बिलों को राशि ₹3145/– का भुगतान किया जबकि रैहन बसेरा का उपयोग आपेक्षित उद्देश्यों के लिये नहीं किया गया और न ही इस अवधि में नगर पंचायत को रैहन बसेरा से आय प्राप्त हुई जिससे यह प्रतीत होता है कि बिजली का उपयोग निजी रूप से किया गया था इसलिए बिजली के बिलों का भुगतान नगर पंचायत कोष से किया जाना अनियमित था जिस बारे

स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस अनियमित भुगतान की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 श्री राजेन्दर सिंह कार्य निरीक्षक को राशि ₹4.26 लाख का अनियमित भुगतानः–

अवधि 1.4.12 से 31.3.14 के दौरान श्री राजेन्द्र सिंह, वर्क सुपरवाईजर को राशि ₹40533/– के wages का भुगतान किया गया। उक्त कार्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति नगर पंचायत द्वारा सरकार की स्वीकृति के बिना अपने स्त्तर पर की गई थी। जैसा कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों अवधि 1.4.96 से 31.3.97 के पैरा 5 (1), 1.4.2007 से 31.3.11 क पैरा 7.3 तथा अवधि 1.4.11 से 31.3.12 के पैरा 16 में भी उल्लेखित किया गया था। अतः यह नियुक्ति तब तक नियमित नही मानी जा सकती जब तक इस नियुक्ति के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता नगर पंचायत द्वारा अभी तक अपेक्षित अनुमोदन सरकार से प्राप्त नहीं किया गया है। इस स्थिति मे कर्मचारी को किया गया भुगतान नियमानुसार नियमित नहीं माना जा सकता। अनियमित भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	माह 2/2002 से 31.3.07 तक किया गया भुगतान जिसका विवरण विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन क पैरा 5 (1) में है	₹192786
2	अवधि 4/07 से 3/11 तक किया भुगतान पैरा 5 (1) प्रतिवेदन 4/07 से 3/11 तक	₹151113
3	अवधि 4/11 से 3/12 तक किया भुगतान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 के पैरा 16	₹41510
4	अवधि 4/12 से 3/14 तक किया भुगतान	₹40533
	कुल योग	**₹425942**

16 हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम शिमला को ₹11849/– का अधिक भुगतानः–

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम शिमला का वर्ष 2012–13 स 2013–14 में सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित भुगतान किए गए।

दिनांक	राशि	जितनी सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु अदायगी की
30.10.12	92110	400 बोरी
31.3.13	42352	200 बोरी
20.12.13	42552	200 बोरी
कुल भुगतान	**₹177014**	

उक्त सीमेन्ट आपूर्ति के सन्दर्भ में अम्बूजा सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त बिलों का विवरण निम्नानुसार था

Invocie No & date	No of bags	Invoice Value	Frieght	wise charges	Total
8105076782/2.01.14	200 bags	32200	5770	1500	39470
8104109260/26.3.13	200 bags	32200	5770	1800	39770
8104072826/7.11.12	200 bags	39585	5770	1800	46155
8104094308/29.1.13	200 bags	32200	5770	1800	39770
					165165

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम शिमला को वष 2012–13 व वर्ष 2013–14 में राशि ₹177014/– का भुगतान किया जबकि इसके विरूद्ध Invice के अनुसार राशि ₹165165/– का सीमेन्ट प्राप्त हुआ इस प्रकार सीमेन्ट आपूर्ति वर्ष 2012–13 व 2013–14 में हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति विभाग को राशि ₹11849/–का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसकी पूर्ण जाँच अपने स्त्तर पर करके हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम, शिमला को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु उचित कार्रवाई अमल में लाये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 निर्माण कार्यों से ₹51547/– के बिक्री कर और ₹20290/– के श्रम कर (Sales Tax and Labour Cases) की कटौतियों को सम्बन्धित विभागों में जमा न करवानाः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों (Total Value of work due) से 2% की दर से बिक्री कर की तथा 1% की दर से श्रम उपकर (Labour Cess) की कटौती की गई थी इस प्रकार वर्ष 2012–13 से 2013–14 तक में ₹51547/– के बिक्री कर और ₹20290/– के श्रम उपकर (Sales Tax

and labour cess) की कटौतियाँ ठेकेदारों के बिलों से की गई थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा इन कटौतियों से प्राप्त राशियों को सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाया गया था। उक्त राशियों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वाउचर संख्या/दिनांक	**संविदाकारों का नाम**	**जितने का भुगतान किया**	**सैल्स टैक्स की राशि**	**Labour Cess की राशि**
1/4 दिनांक 11.4.12	श्री महेन्द्र सेतान	99237	1985	992
3/4 दिनांक 11.4.12	श्री मोहन चौहान	329521	6590	3295
3 (1)/4 दिनांक 11.4.12	श्री मोहन चौहान	140185	2804	1402
8/4 दिनांक 27.4.12	श्री मोहन चौहान	37950	759	–
10/4 दिनांक 27.4.12	श्री संदीप चौहान	303402	6069	3035
12/4 दिनांक 27.4.12	श्री संदीप सावंत	120035	2401	1200
14/4 दिनांक 27.4.12	श्री श्याम सुख	341818	6836	3418
16/4 दिनांक 27.4.12	श्री अमित चौहान	108322	2166	1083
16/5 दिनांक 22.5.12	मै0 जस्टा कन्स्ट्रक्शन	312014	6240	–
12/3 दिनांक 20.3.13	श्री मोहन चौहान	153990	3080	1540
8/4 दिनांक 9.4.13	श्री महेन्द्र	96688	1934	967
12/4 दिनांक 12.4.13	श्री चमन लाल	239082	4782	2391

5/12 दिनांक 11.12.13	श्री चमन लाल	295046	5901	967
			51547	**20290**

अतः इन राशियों को सम्बन्धित विभागों में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 देय तिथि के बाद बिजली के बिलों का भुगतान करने पर अधिभार राशि के रूप में ₹701/– का नगर पंचायत निधि से अनियमित रूप में भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 11/2013 में बिजली के बिलों की अदायगी देय तिथि के बाद की गई थी जिसमें अधिभार के राशि की रूप में ₹701/– का भुगतान भी किया गया।

मीटर सं0	बिल सं0	देय तिथि	भुगतान तिथि	देय तिथि को देय राशि	देय तिथि के बाद देय राशि	अधिभार राशि ₹ में
एन0सी0सी0 126	00832056	25.10.13	21.11.13	753	767	14
एच0एस0–3	01534786	25.10.13	21.11.13	18171	18626	455
एन0सी0–263	00832085	25.10.13	21.11.13	261	267	6
एच0एस0–4	01534787	25.10.13	21.11.13	10948	11152	204
एच0एस0–5	10534788	25.10.13	21.11.13	1162	1184	22
						701

उपरोक्त विवरणानुसार अधिभार की राशि का भुगतान नगर पंचायत कोटखाई की निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः अनियमित रूप से भुगतान की गई अधिभार की राशि

₹701 की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

19 यात्रा भत्ता दावों की राशि ₹450/– का अधिक भुगतानः–

वाउचर संख्या 16/11 दिनांक 28.11.13 के तहत श्री रोशन लाल सेवादार को यात्रा भत्ते दावे की राशि ₹3360/– का भुगतान किया गया था। इस यात्रा भत्ते दावे की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ एक दिनों में जहाँ लगातार शिमला में कार्यालय कार्य था के लिये प्रतिदिन कोटखाई से शिमला एवं सांय को शिमला से कोटखाई की यात्रा तथा भुगतान किया गया दर्शाया था जिसका ािरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक	यात्रा जहां से जहां तक की	किराये की राशि (₹)	टिप्पणी
10.1.13 सुबह	कोटखाई से शिमला	75	
10.1.13 सायं	शिमला से कोटखाई	75	
11.1.13 सुबह	कोटखाई से शिमला	75	अनियमित भुगतान
11.1.13 सायं	शिमला से कोटखाई	75	
24.5.13 सुबह	शिमला से कोटखाई	75	अनियमित भुगतान
24.5.13 सायं	कोटखाई से शिमला	75	
25.5.13 सुबह	सुबह कोटखाई से शिमला	75	
25.5.13 सायं	सायं शिमला से कोटखाई	75	अनियमित भुगतान
30.7.13 सुबह	सुबह कोटखाई से शिमला	75	
30.7.13 सायं	सायं शिमला से कोटखाई	75	अनियमित भुगतान
31.7.13 सुबह	सुबह कोटखाई से शिमला	75	
31.7.13 सायं	सायं शिमला से कोटखाई	75	

जबकि नियमों में दिये प्रावधानों के अनुसार उक्त दर्शाये गये दिनों में की गई यात्रा का भुगतान अनियमित था और केवल ठहराव की दैनिकी नियमानुसार देय बनती थी। अतः राशि ₹450/– का जो अनियमित/अधिक भुगतान किया गया उसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 वाउचर संख्या 1/4 माह 4/12 राशि ₹99237/–

कार्य का नामः– C/O wall in front of x-change building Kotkhai

संविदाकार का नामः– श्री महेन्द्र

माप पुस्तिाक संख्याः– 12 पृष्ठ 57 से 51

उक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 12 पृष्ठ 57 से 61 में निष्पादित मदों की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार को गणना की चूक के कारण निम्न विवरणानुसार राशि ₹1596/– का अधिक भुगतान किया गया।

मद संख्या	**मद का ब्यौरा**	**जितनी Qty ली**	**जितनी Qty बनती थी**	**जितनी ज्यादा ली**
5	C/O dra rubble Masonery for R/wall i/C carriage	26.68 m3	25.10m3	1.52m3

अतः जितना अधिक भुगतान किया= 1.52m3x1050=1596

इस आपत्ति बारे नगर पंचायत कोटखाई को लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 1 दिनांक 16.3.15 द्वारा स्पष्टीकरण देने बारे लिखा था अंकेक्षण पूर्ण होने तक पंचायत द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

20.1 उक्त निर्माण कार्य को करने के लिये संविदाकार को N.I.T. के अनुसार दो माह का समय दिया गया था। माप पुस्तिका संख्या 12 पृष्ठ 57 में की प्रविष्टियों के अनुसार संविदाकार द्वारा यह निर्माण कार्य 12.1.12 को आरम्भ किया गया और N.I.T. में दिये समय के आधार पर यह कार्य 15.3.12 तक पूर्ण किया जाना चाहिए था जबकि माप पुस्तिका संख्या 12 पृष्ठ 63 के अनुसार यह कार्य दिनांक 17.12.12 को लगभग एक साल में पूर्ण किया। जबकि अनुबन्ध की धारा–2 में दिये पावधान में स्पष्ट है कि यदि संविदाकार तय सीमा अवधि के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करता तो Tenderd Amt. पर 10**%** जुर्माने का प्रावधान है जिसके आधार पर Tendered Amount राशि ₹196801.00 के अनुसार राशि ₹19680.00 का जुर्माना ठेकेदार से वसूला जाना था। जबकि नगर पंचायत कोटखाई द्वारा अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत संविदाकार के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रतीत होती है और न ही ऐसे अभिलेखों को

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिसमें ठेकेदार की समय अवधि की बढ़ौतरी की गई हो। अतः संविदाकार के विरूद्ध समय पर कार्य न पूर्ण करने पर अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार कार्रवाई न करने बारे स्थिति आगामी अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट की जाये। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 4.3.15 बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे लिखा था परन्तु अंकेक्षण पूर्ण होने तक लेखा परीक्षा को स्थिति स्पष्ट नहीं की गईं।

21 संविदाकार को राशि ₹0.12 लाख का सम्भावित अधिक भुगतानः—

संविदाकार का नामः— अमित चौहान

निर्माण कार्य का नामः— M/O Path from Ambulance road towards H/O Maths Ram H/O Jia lal at Chhol, Kotkhai

माप पुस्तिका संख्याः— 16 पृष्ठ 78 से 81

उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका संख्या 16 पृष्ठ 78 से 81 द्वारा निष्पादित मदों की रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि इन मदो से सम्बन्धित Drawings में दी पैमाईश (Measurment) तथा माप पुस्तिका में दर्ज पैमाईश में भिन्नता पाई गई जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार राशि ₹5444/— का अधिक/गलत/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

माप पुस्तिका सं0/पृ0	मद का ब्यौरा	M.B में जो मद की गणना ली	मद की गणना Drawing के अनुसार	अन्तर/अधिक गणना
16 Page 78-10-81	C/O Dry rubble Masonery in 13/wall & R/Wall R/WallO/14.50 to 0/25 L 10.50-4x0.6=8.10	1x8.10x1.70x0.80 /2x2.90=29.36	1x8.10x1.70x0.8 0/2x2.90	29.36
	For wdge wall % to 14.50	1x14x0.75x0.30+ 2.20/2=13.12m3	1x14x0.75x0.30+ 1.20/2=7.88m3=5 .24m3	
B/wall at 0/14 to 21.50	1x7.50x0.45x0.50=1 .69m3	1x7.50x0.45x0.50 =1.69m3	1x7.50x0.45x0.5 0=1.69m3	
				5.24m3
	अनियमित/अधिक भुगतान=5.24m3x₹850=		₹4454	

लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 4 दिनांक 18.3.15 द्वारा नगर पंचायत को इस अनियमित बारे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा था परन्तु लेखा परीक्षा की समाप्ति तक नगर पंचायत ने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। उक्त किये गये अनियमित/अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार/कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21.1 उक्त निर्माण कार्य में C.C. Pavement की मद का निष्पादन माप पुस्तिका संख्या 16 के पृष्ठ 78 से 81 में R/D % 0/42, R/D 0/60 to 0/67.20 तथा RD 0/90 to 0/139.50 में किया गया दर्शाया था जबकि माप पुस्तिका के अनुसार P/L C.C 1:6:12 R/D 0/0 to 0/42 तथा R/D 0/60 to 0/67.20 तक निष्पादित की गई दर्शाई गई थी। अतः जब C.C. 1:6:12 R/D 0/0 to 0/42 तथा 0/60 to 0/67.20 तक ही निष्पादित की गई थी तो Pavement की item का निष्पादन R/D 0/90 to 0/139.50 में किस आधार पर किया। लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 4 दिनांक 18.3.15 द्वारा नगर पंचायत का इस आपत्ति बारे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था जोकि अंकेक्षण की समाप्ति तक लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः RD C/90 to 139.50 में CC 1:6:12 के कार्य का निष्पादन करवाए बिना सी0सी0 Pavement की मद का निष्पादन करना उचित प्रतीत नहीं होता जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के लिए Pavement का कार्य करवाया गया दर्शाया है जिस बारे पूर्ण तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा निम्न विवरणानुसार अनियमित/अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार/कर्मचारी से करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

माप पुस्तिका में CC Pavement की item की कुल Qty. की गई दर्शाई है	4.82m3
जितनी CC Pavement की item की Qty C.C. 1:6:12 की मद अनुसार की जानी थी	2.51m3
जितनी अधिक दर्शाई गई	2.31m3

अतः जितना अधिक/अनियमित भुगतान किया गया=2.31m3x₹3400=₹7854

22 संविदाकार को राशि ₹5089.00 का सम्भावित अधिक भुगतानः—

निर्माण कार्य का नामः— Widing of main road of Kotkhai Bajar (SH: C/O B/Wall at RD 0/0 to 0/32 in IInd Phase)

संविदाकार का नामः—श्री मोहन चोहान

माप पुस्तिका संख्या 18 पृष्ठ 48 से 51

10 पृष्ठ 42 से 45 व 46 से 49

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 18 पृष्ठ 48 से 51 तक प्रथम बिल की प्रविष्टियों तथा माप पुस्तिका संख्या 10 पृष्ठ 42 से 45 तथा पृष्ठ 46 से 49 तक द्वितीय एवं अन्तिम बिल की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि प्रथम चलत बिल की प्रविष्टियों में B.Wall की लम्बाई को पहले 20mtr दर्शाकर तत्पश्चात उसे काटकर अथवा ower writing करके 20.35 mtr. दर्शाकर निम्नलिखित मदो का भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप संविदाकार को राशि ₹5089.35 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अधियाचना संख्या 2 दिनांक 16.3.15 द्वारा सचिव नगर पंचायत कोटखाई को आपत्ति के बारे में स्पष्ट करने को लिखा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गईः—

	मद का ब्यौरा	**M.B. में जो पहले प्रविष्टि ली**	**M.B. के करवाकर/करके जो प्रविष्टि ली**	**जितनी अधिक Qty ली**	**दर**	**अधिक/अनियमित भुगतान**
1	Cutting in eartgh work	175.30	178.47cum	1.17 cum	200	234
2	Excavation in foundation & Plinth	36.00m3	36.63m3	0.63cum	205	129.15
3	P/L C.C 1:6:12 in foundation & Plinth (Agg 40 mm Normal size)	14.40m2	14.65m3	0.15cum	2050	307.50
4	R/R Masonery uncomsed brought to course with hard stone of approved quantity in breast wall	117.42m3	119.48m3	2.06 m3	2145	4418.70
					Total	**5089.35**

मापन में ली गई लम्बाई में की गई कटिंग को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अतः उक्त कटिंग/ओवर राईटिंग को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया

जाए अन्यथा कटिंग के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान की गई राशि ₹5089.00 की वसूली सुनिश्चित की जाए।

22.1 निर्माण कार्य को देरी से पूरा करने पर अनुबन्ध की धारा 2 के अनुसार कार्रवाई न करनाः–

उक्त निर्माण कार्य संविदाकार को पत्र संख्या 432 दिनांक 23.11.10 द्वारा 2 भाग में पूरा करने हेतु आबंटित किया गया। मापन पुस्तिका संख्या 10 पृष्ठ 46 के अनुसार यह कार्य 10.12.'10 को आरम्भ करके दिनांक 14.12.12 को पूर्ण किया गया। जबकि आबंटन पत्र के अनुसार उक्त निर्माण कार्य 9.2.11 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था। अतः कार्य लगभग दो साल बाद ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया गया। यदि संविदाकार निर्माण कार्य को तय सीमा अवधि में पूर्ण नहीं करता और न ही अनुबन्ध के अनुसार समय बढोतरी लेता है तो अनुबन्ध की धारा–2 के अनुसार 10**%** की दर से जुर्माने का प्रावधान है जबकि न तो इस निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा समय बढ़ौतरी ली गई और न ही नगर पंचायत ने अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना लगाया जोकि अनियमित था। अतः ठेकेदार के विरूद्ध अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार कार्रवाई न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23 निर्माण कार्यों में सीमेन्ट की निर्धारित खपत से कम खपत करनाः–

नगर पंचायत के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों में सीमेन्ट की खपत i.e. Schedule of rates में दिये consumption Factor के अनुसार निर्धारित खपत से कम पाई गई जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्यों का निष्पादन निम्न स्त्तर का किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार के कायों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

	माप पुस्तिका सं0 / पृ0	निर्माण कार्य का नाम		निर्माण कार्य के जिन मदो 'पर जितनी सीमेन्ट की खपत बनती है	जितने बैंक बनते है
1	12/65	C/O R/Wall in front of exchange building Kotkhai	1	CC 1:6:12=10.55 cum	23.21 Bags
			2	R/R Masonery =45.57	75.19 bags

				cum	
			3	P/L CC 1:6:8=6.06 cum	20.16 bags
				कुल खपत	118.66 bags
				कुल बैग खपत	119
	(-) 5% variation देने के उपरान्त खपत कुल सीमेन्ट की खपत				6/113 बैग
		सीमेन्ट की जितनी खपत की			94 बैग
			कम खपत		19 बैग
2	22/24 to 26	M/O Path leading towards H/O Sh. Ashish Sood (Sh. C/O R/wall at RD 0/0 to 0/10m)	C.C 1:6:12 4.83x2.20=		10.63bags
			R/R Masonery 1:6:12 in CM 1:6	48.45.x1.65	7994 bags
				Total Cement	90.57 bages
				Says	91 bags
				. 50 variation 91x5	5 bags
			Total cement used		86 bags
		जितने सीमेन्ट बैग निर्माण कार्य में उपयोग किये			82 बैंग
			जितने कम किये		4 बैग

अतः पंचायत उक्त त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट करें।

24 **लघु आपत्ति विवरणिका** :– लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

25 **निष्कर्ष** :– लेखों के रख–रखाव में अधिक सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों के निपटारे हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाये जायें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–V (i) 86/87 फिन(एल0ए0) खण्ड–5573–5574 दिनाक 17.09.2015,

शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

(1) निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 को पैरा.............. पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :– (2) सचिव, नगर पंचायत कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट (क)

पैरा संख्या 1 (घ) में सन्दर्भितः–

नगर पंचायत कोटखाई जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट पैरों की वर्तमान अकेक्षण के उपरान्त शेष अनिर्णीत पैरेां की स्थिति निम्न थीः–

(क) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 03/87

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 10 (ए) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (बी)	अनिर्णीत

5	पैरा 19	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/90

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 13 (2) (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (2) (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (3 से 5)	अनिर्णीत
7	पैरा 14 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा 14 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा–16 (क) (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 17 (1) (क)	अनिर्णीत
12	पैरा 17 (1) (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 17 (2) क (1 से 5)	अनिर्णीत
14	पैरा 17 (2) (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 17 (2) (ग) (1 से 4)	अनिर्णीत
16	पैरा 18 (क) (1) से (3)	अनिर्णीत
17	पैरा 19 (ख)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/96

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (1)(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 9 (8)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(1) से (3)	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत

9	पैरा 14 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा 14 (7)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/07

1	पैरा 2 (iv) (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 2 (v)	अनिर्णीत
3	पैरा 2 (vi)	अनिर्णीत
4	पैरा 3 (ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (v) व (vi)	अनिर्णीत
6	पैरा 4 (vii) व (viii)	अनिर्णीत
7	पैरा 5 (ii) व (iii)	अनिर्णीत
8	पैरा 5 (vi)	अनिर्णीत
9	पैरा 5 (viii)	अनिर्णीत
10	पैरा 5 (ix)	आंशिक निर्णीत
11	पैरा 6 (i)	आंशिक निर्णीत
12	पैरा 6 (ii)	अनिर्णीत
13	पैरा 6 (iii)	अनिर्णीत
14	पैरा 6 (iv)	अनिर्णीत
15	पैरा 6 (v) (i)	अनिर्णीत
16	पैरा 6 (vi) (i)	अनिर्णीत
17	पैरा 6 (vii)	अनिर्णीत
18	पैरा 6 (viii)	अनिर्णीत
19	पैरा 6 (ix)	अनिर्णीत
20	पैरा 6 (x)	अनिर्णीत
21	पैरा 6 (xi)	अनिर्णीत
22	पैरा 6 (xiii)	अनिर्णीत
23	पैरा 6 (xiv) व (xv)	अनिर्णीत
24	पैरा 6 (xvi)	अनिर्णीत
25	पैरा 6 (xvii)	आंशिक निर्णीत

26	पैरा 6 (xviii),(xix) व (xx)	अनिर्णीत
27	पैरा 6 (xxi)	अनिर्णीत
28	पैरा 6 (xxii)	अनिर्णीत
29	पैरा 6 (xxiv) से (xxvii)	अनिर्णीत
30	पैरा 6 (xxix) से (xxx)	अनिर्णीत
31	पैरा 6 (xxxi)	अनिर्णीत
32	पैरा 6 (xxxii)	अनिर्णीत
33	पैरा 6 (xxxiii) से 6 (xxxvii)	अनिर्णीत
34	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा 7 (ii)(i)	आंशिक निर्णीत
36	पैरा 7 (ii)(ii)	अनिर्णीत
37	पैरा 7 (ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत
38	पैरा 7 (ii)(xi) से (xiii)	अनिर्णीत
39	पैरा 7 (iii)(i) से (ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 7 (iv)(i)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/11

1	पैरा 3	निर्णीत	(सहायक निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–Fin (LA) Vol-18018 दिनांक 16.4.15)
2	पैरा 6.7.1	निर्णीत	
3	पैरा 6.7.2	निर्णीत	
4	पैरा 6.10	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा 7.2.1 से 7.2.3	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा 7.4	अनिर्णीत	
7	पैरा 7.5	अनिर्णीत	

8	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
9	पैरा 8.6	अनिर्णीत	
10	पैरा 8.7	निर्णीत	(सहायक निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 18018 दिनांक 16.4.15 अनुसार)
11	पैरा 8.8	अनिर्णीत	
12	पैरा 8.9	निर्णीत	(सहायक निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 18018 दिनांक 16.4.15 अनुसार)
13	पैरा 9.1	अनिर्णीत	
14	पैरा 9.2	निर्णीत	(सहायक निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 18018 दिनांक 16.4.15 अनुसार)
15	पैरा 9.3.1	निर्णीत	(सहायक निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 18018 दिनांक 16.4.15 अनुसार)
16	पैरा 9.3.2	अनिर्णीत	
17	पैरा 9.3.3	अनिर्णीत	
18	पैरा 9.4.1	अनिर्णीत	
19	पैरा 9.4.2	अनिर्णीत	
20	पैरा 9.4.3	अनिर्णीत	
21	पैरा 9.4.4	अनिर्णीत	
22	पैरा 9.4.5	निर्णीत	(सहायक निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 18018 दिनांक 16.4.15 अनुसार)
23	पैरा 9.5	अनिर्णीत	
24	पैरा 9.6	निर्णीत	(सहायक निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 18018 दिनांक 16.4.15 अनुसार)
25	पैरा 9.7	अनिर्णीत	
26	पैरा 9.8	निर्णीत	(सहायक निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 18018 दिनांक 16.4.15 अनुसार)
27	पैरा 9.9	निर्णीत	(–यथोपरि–)
28	पैरा 10.1 से 10.4	अनिर्णीत	
29	पैरा 12.1	निर्णीत	(सहायक निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या

			18018 दिनांक 16.4.15 अनुसार)
30	पैरा 12.2	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 तक

1	पैरा 3	निर्णीत	(सहायक निदेशक की Inspection report अवधि 6.4.15 से 7.4.15 तक)
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
3	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
4	पैरा 6	निर्णात	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
5	पैरा 7 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
6	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
9	पैरा 9	अनिर्णीत	
10	पैरा 10	अनिर्णीत	
11	पैरा 11	अनिर्णीत	
12	पैरा 12	अनिर्णीत	
13	पैरा 13	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा दिये स्पष्टीकरण/उत्तर के अवलोकन उपरान्त तथा भवन नक्शा की फीस वर्ष 13–14 में ₹1908 सचिव नगर पंचायत द्वारा दिये स्पष्टीकरण में)
14	पैरा 14	निर्णीत	(नगर पंचायत कोटखाई ने प्रस्तुत 6 दिनांक 10.12.14 में हुई बैठक में गृहकर अधिरोपित हेतु प्रस्ताव पारित कर दिया और जिस पर सर्वे आरमभ है। इसके साथ–2 इसकी नवीनतम

			स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
15	पैरा 15	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण के पैरा में दर्शाई गई है)
16	पैरा 16	अनिर्णीत	
17	पैरा 17	अनिर्णीत	
18	पैरा 18	अनिर्णीत	
19	पैरा 19	निर्णीत	(सहायक निदेशक की Inspection report के आधार पर)
20	पैरा 20	निर्णीत	(–यथोपरि–)
21	पैरा 21	अनिर्णीत	
22	पैरा 22	निर्णीत	(–यथोपरि–)
23	पैरा 23	अनिर्णीत	
24	पैरा 24	अनिर्णीत	
25	पैरा 25	अनिर्णीत	
26	पैरा 26	अनिर्णीत	
27	पैरा 27	अनिर्णीत	
28	पैरा 28	निर्णीत	
29	पैरा 29	निर्णीत	